12/07/2021

Q नातेदारी की परिभाषा दें तथा इसके प्रकार की व्याख्या करें।

Ans समाज सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था का नाम है और व्यक्ति आतिनेतर है, जो इन सम्बन्धों की स्थापना का निर्धारण करता है। चूँकि समाज में अनेक प्रकार के संगठन और समूह पाये जाते हैं, इसलिए सामाजिक सम्बन्धों में विविधता का होना नितान्त स्वाभाविक है। अनेक सामाजिक सम्बन्धों में रक्त पर आधारित मानव सम्बन्ध अत्यन्त शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होते हैं।

चार्ल्स विनिक के अनुसार "नातेदारी व्यवस्था कल्पित तथा यथार्थ वंशावलीय बंधनों पर आधारित समाज स्वीकृत समस्त सम्बन्धों को सम्मलित कर सकती है।"

लेवी स्ट्रास के अनुसार "नातेदारी प्रणाली वंश अथवा रक्त सम्बन्धों के निरुपक सूत्रों से निर्मित नहीं होती जो कि व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है, यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक परिस्थिति का स्वतः विकास नहीं है"

मुख्य रूप से यह कहा जाता है कि नातेदारी समाज में पायी जाती है, सामाजिक सम्बन्धों की वह

स्वीकृत व्यवस्था है और चाहे वे पूर्णतः वंशानुगत संबंधों पर आधारित हों या काल्पनिक पूर्वजों पर।

नातेदारी के प्रकार - फर्थ ने लिखा है "यह एक ढांचा है जिसके सहारे प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर रहता है।"

प्रत्येक समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं - विवाह और रक्त संबंध। इन्हीं आधारों पर नातेदारी को भी निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है।

(1) रक्त संबंधी नातेदारी - यह नातेदारी व्यवस्था का वह प्रकार है जो रक्त संबंधों पर आधारित है। इसमें प्राणीशास्त्रीय रक्त संबंधी और सामाजिक दोनों ही प्रकार के संबंध सम्मिलित किये जाते हैं। अनेक जनजातियों में जहाँ पिता का कोई निश्चित नहीं होता है ऐसी स्थिति में बालक और पिता के बीच नातेदारी इस आधार पर मानी है कि वह व्यक्ति सामाजिक संस्कारों द्वारा बालक का पिता बन जाता है।

(2) विवाह संबंधी नातेदारी - पति और पत्नी में विवाह के कारण दोनों पक्षों के अनेक व्यक्ति सामाजिक

संबंधों में आबद्ध हो जाते हैं। वे सभी व्यक्ति एक स्त्री और एक पुरुष के विवाह बन्धनों के कारण संबंधी बन जाते हैं। नातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत तीन प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं —

(i) प्राथमिक नातेदारी – इस श्रेणी के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर आबद्ध होते हैं। उदाहरणार्थ – माता-पिता और बच्चे पति-पत्नी आदि जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं।

(ii) द्वितीयक नातेदारी – इसके अन्तर्गत वे नातेदार आते हैं, जो व्यक्ति के प्राथमिक श्रेणी पर सम्बन्धों द्वारा संबंधित होते हैं। इनसे व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, किन्तु प्रथम श्रेणी के संबंधों से संबंधित होते हैं।

(iii) तृतीयक नातेदारी – इसके अन्तर्गत द्वितीयक श्रेणी के संबंधियों के प्राथमिक रिश्तेदार आते हैं। इस व्यवस्था के कारण नातेदारी प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण होता है।

3. समानान्तर चचेरे, मौसेरे तथा ममेरे फुफेरे – अर्थात चाचा, मौसा, मामा, और फुफा की संतान आती है। चचेरे संबंध दो प्रकार के होते हैं —

(a) क्रास कजिन – इसमें मामा, और फुफा अथवा पिता की बहन या माता के भाई की संतान आती है।

(5) समानान्तर कज़िन इन्हें चचेरे मौसेरे भाई - बहिन अर्थात् चाचा, मामा या मौसी के बाल बच्चे आते हैं।

(6) सपिण्डता (Mother Sib) माता की विभिन्न पीढ़ियों के लोग सपिण्ड कहलाते हैं। मातृसत्तात्मक अथवा मातृक समाजों में सपिण्डता का विचार मूलतः था। पितृसत्तात्मक अथवा पैतृकसत्तात्मक समाज स्थापित होने पर गोत्र का विचार उत्पन्न होता है। विकासवादी दृष्टिकोण से प्राचीन सपिण्डता के विचार को गोत्र का विचार अत्यन्त प्राचीन लगता है। सपिण्ड लोग एक खून वाले माने जाते थे। अतः उनमें विवाह सम्बन्धों का निषेध था मनु के अनुसार ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जो सपिण्ड या सगोत्र न हो परन्तु क्रमशः यह निषेध इतना दृढ़ नहीं रहा और सपिण्ड में भी विवाह होने लगे।

Vijant Kumar Mishra
Asst Professor (Guest faculty)
Dept of Sociology
Date - 12/07/2021